आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-01-2024	**वाद सं0–70 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री उत्तम कुमार साहा एवं अन्य, ग्राम–लोगांई, पं0–पड़रिया, प्र0–राजमहल, साहेबगंज वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनुपस्थित। इस वाद की पिछली सुनवाई में दोनों पक्ष अनुपस्थित थे। पिछली सुनवाई दिनांक–11.01.2024 को हुई थी। आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता वीडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित रहे। जबकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज का ना तो कोई पक्ष आयोग के अभिलेख में उपलब्ध है ना वो या उनके प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित रहे। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता की शिकायतों का निदान करते हुए निदान कर लिये जाने और बकाया राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में पेश करें, अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् विधिक कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–12.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–12.02.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx55